

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वार्डिंग- एवं इनके परिणामता अनुपरिचित। वार्डिंग को मात्र न्यायालय में प्रेषित- प्रेषित समग्र पर तीन तीन बार सावधानी लगावली गयी। सावधानी सावधानी लगावने के उपरांत भी वार्डिंग के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 विधम-9 के तहत अयम वाजरी व अयम पेशी में सारिल की जाती है। पत्रावली केसलत शुमार दीकर नंबर से कम दीकर 4खिलक धक्तर ही।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	